206

संख्याः-527/VI-2/2012-71(17)2011

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 23 अक्टूबर, 2013

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 2187/सं0नि0उ0/दो-3/2013-14 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-668/XXVII(1)/2013, दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुपूरक मांग द्वारा प्राप्त आयोजनागत पक्ष में निम्न विवरणानुसार स्तम्भ-2 में उल्लिखित मानक मदों में कुल ₹91.00 लाख (₹इक्यानवे लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

अनुदान संख्या-11

लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- सांस्कृतिक कार्य निदेशालय-00-42- अन्य व्यय

(धनराशि हजार ₹ में)

क0सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के सापेक्ष बजट का आवंटन। (आयोजनागत)
1	2	3
1	42- अन्य व्यय	7500
	योगः-	7500

अनुदान संख्या-11

लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-00-102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-

क0 सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के सापेक्ष बजट का आवंटन। (आयोजनागत)
1	33- लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता-00	
	20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1600
	योगः-	1600
	महायोगः-	9100

2– वितरण अधिकारी के द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3– उपरोक्त से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–212/VI–2/2013–71(17)2012 टी0सी0 दिनांक 16 अप्रैल, 2013, शासनादेश संख्या–399/ VI–2/2013–71(17)2012 दिनांक 12 अगस्त, 2013, में उल्लिखित सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

4– यहा यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205–के उपरोक्त विवरणानुसार डाला जायेगा।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– 527/VI-2/2013–71(17)2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव।